

आदेश

श्री मुकेश कुमार, कृषि विकास अधिकारी, पेहवा-11 अधीन उप निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, कुरुक्षेत्र का अस्थाई समायोजन कृषि विकास अधिकारी अधीन एच0ओ0पी0पी0 करनाल के पद पर हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य), नियम, 2016 के अध्याय-11 के भाग 89 में निहित प्रावधान के तहत 180 दिनों के लिए निम्न शर्तों पर किया जाता है:-

1. अधिकारी की वरिष्ठता उसके मूल काडर में ही रहेगी।
2. अधिकारी का Soil Conservation Cadre में कार्य करने का अनुभव Soil Conservation Cadre में शामिल नहीं किया जाएगा।

दिनांक: 05-10-2018


दुष्मंता कुमार बहेरा
निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा।

पू0 क्रमांक: 2435-40 /स्था0-11(1), पंचकुला दिनांक: 14-10-2018

इसकी प्रति निम्नलिखित:-

1. अतिरिक्त कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), निदेशालय कृषि तथा किसान कल्याण हरियाणा, पंचकुला:
2. अतिरिक्त कृषि निदेशक (SWM), निदेशालय कृषि तथा किसान कल्याण हरियाणा, पंचकुला:
3. मण्डल भूमि संरक्षण अधिकारी, करनाल:
4. उप निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, कुरुक्षेत्र
5. परियोजना निदेशक, एच0ओ0पी0पी0, करनाल,
6. सम्बन्धित अधिकारी:

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।


संयुक्त निदेशक (प्रशा0)

कृते: निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

CC

1. PA/DA
2. PA/ID(Admin.)
3. Programmer to E-mail all concerned & to upload same on Departmental portal